150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमाक:– SPL   दिनाक 03/04/20

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय–प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त

विषय:– महामारी कोरोना वायरस (COVID – 19) के संक्रमण को देखते हुये लॉक डाउन अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत शेष खाद्यान्न का उपयोग करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस **COVID–19** के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विद्यालयों में उपलब्ध शेष रहे खाद्यान्न के यथोचित उपयोग हेतु विभागीय पत्र दिनांक 30.03.2020 द्वारा जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय,राजस्थान सरकार द्वारा समीक्षा उपरान्त विद्यालयों से शेष खाद्यान्न का उठाव कर संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। । अतः निर्देशित है कि संलग्न प्रपत्र में जिले की सूचना तैयार कर ईमेल आईडी itcellmdm@gmail.com, अथवा mdm-rj@nic.in पर **आज ही 12 बजे** तक आवश्यक रूप से भिजवायें साथ ही पुष्टि हेतु मिड डे मील राजस्थान के WhatsApp ग्रुप पर Message कर अवगत करावें। खाद्यान्न की सुपुर्दगी के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:–

- जिन विद्यालयों से खाद्यान्न (गेहूं /चांवल) प्राप्त किया जा रहा है में इसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड संधारण किया जाये एवं उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न की पावती प्राप्त की जाये।
- खाद्यान्न के उपयोग से सम्बन्धित रेकॉर्ड का संधारण किया जाये ।
- खाद्यान्न की सुपुर्दगी का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की निगरानी में किया जाये।
- जिले में खाद्यान्न के उपयोग की समेकित सूचना विभाग को भिजवाई जाये।

निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं संलग्न प्रपत्र में सूचना आज ही भिजवायें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

03/4/20
उपायुक्त (क्रि.एवं मू.)

क्रमांक:–   **दिनांक**

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला कलक्टर समस्त।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।

03/04/20
उपायुक्त (क्रि.एवं मू.)

www.rajteachers.com